प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –369 / 2023

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।

–– **वादी**

बनाम्

1. मनफुल पुत्र उदमीराम जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. मनोहरी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रामकुमार अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 31.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 146 / 138 की कुल 8.6370 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 205 / 199 की 1.2260 हैक्ट भूमि की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफूल पुत्र उदमीराम के नाम से दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार प्रतिवादी स0 1 ने अपने नाम दर्ज रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 205 की 1.2260 हैक्ट भूमि रखी है एवं वादी व प्रतिवादी को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 146 की 8.6370 हैक्ट भूमि मे दर्ज प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में समस्त हक हिस्सा प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 व 4 ने हिस्सा त्याग कर दिया था इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि खाता स0 146 की 8.6370 हैक्ट भूमि में दर्ज प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी स0 2 का 1 / 4 हिस्सा बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के [illegible] को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की [illegible] वादी डिक्री फरमाया [illegible] है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

का इकबाल/राजीनामा मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 146/138 की कुल 8.6370 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 205/199 की 1.2260 हैक्ट भूमि की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 146/138 की कुल 8.6370 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गांवं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –369 / 2023

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम्

1. मनफुल पुत्र उदमीराम जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. मनोहरी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 369 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 146 / 138 की कुल 8.6370 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:40 IST
Reason: SelfAttested